RESEARCH PAPER | Commerce | Volume : 5 | Issue : 9 | September 2015 | ISSN - 2249-555X

बस्तर के ''हरे सोने'' में निहित आदिवासियों का स्वर्णिम भविष्य (तेंदूपत्ता संग्रहण व्यापार एवं संग्राहकों का आर्थिक अध्ययन)

KEYWORDS

Dr. Ravish Soni	Shikha Agrawal
Astt. Proff. Commerce, Kalyan P.G. College, Bhilai Nagar, C.G	Reseach Scholer, Kalyan P.G. College, Bhilai Nagar, C.G.

1 iLrkouk %& बस्तर के सघन गहरे वनों में तेंदू पत्ता बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, इसका प्रयोग बीड़ी बनाने हेतु बीड़ी के बाह्य आवरण (कव्हर) के रूप में किया जाता है, बीड़ी उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला यह प्राकृतिक कव्हर बस्तर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है एवं यहाँ पाए जाने वाले ''अकाश्ठीय लघु वनोपजों'' का एक प्रमुख उत्पाद है । एक अनुमान के अनुसार संपूर्ण भारत में प्रतिवर्श लगभग 2,50,000 टन पत्ते संग्रहीत किए जाते है, जिसका लगभग 20 प्रतिषत संग्रहण बस्तर में होता है, यहाँ के पत्तों की उनकी उत्कृश्ट गुणवत्ता के कारण अच्छी बाजार मांग है । संग्रह का कार्य मई मांह के अंतिम सप्ताह एवं अप्रैल को तीसरा सप्ताह है, अर्थात् 15 दिनों की संग्रहण अवधि में ही इसे संग्रहीत किया जाता है । यह कार्य यहाँ के आदिवासी परिवारों द्वारा किया जाता है । वनोपज संग्रहण यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य स्त्रोत है, लगभग 40 प्रतिषत वनवासी इसी के माध्यम से अपनी गुजर–बसर करते हैं। तेंदू पत्ता बीड़ी के बाहरी आवरण को गठित करने हेतु प्रयोग किया जाने वाला साधन है, जिसके अंदरूनी हिस्से में तंबाकू की छोटी–बड़ी पत्तियाँ भरी जाती है, तेंदू पत्ते के साथ इसकी निर्माण इसकी गुणवत्ता, महक एवं ज्वलनषीलता में वृद्धि करता है, यही कारण है कि इसकी अत्याधिक बाजार मांग है और सरकार द्वारा इनके संगहण की मात्रा एवं गुणवत्ता सुधार हेतु विभिन्न बोनस, सुविधाएं एवं अन्य अभिप्रेरण दिए जा रहे हैं ।

2- ‘kks/k dk {ks= %& षोध हेतु अध्ययन का क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर क्षेत्र है । छत्तीसगढ़ का मध्यप्रदेष एवं अरूणाचल प्रदेश के पष्चात् देष में वन संपदा के क्षेत्र में तीसरा स्थान है एवं बस्तर को छत्तीसगढ़ में सरगुजा के बाद सबसे बड़ा वनक्षेत्र माना जाता है । बस्तर राज्य के दक्षिण में स्थित है । इसकी स्थिति 20.6–20.24 देषांतर तथा 80.48–81.48 अक्षांष तक है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 43169 वर्ग किलोमीटर है, क्षेत्रफल की दृश्टि से यह केरल राज्य से भी बड़ा है । इसकी अपनी एक सांस्कृतिक पृश्ठभूमि है, यहां के आदिवासियों की जीवनशैली, रहन–सहन, खान–पान, पर्व आदि हमेषा से लोगों के आकर्शण का केंद्र रहे हैं, इसके अतिरिक्त बस्तर में फैला नक्सलवाद भी हमेषा से चर्चा का विशय रहा है । इसका मुख्यालय जगदलपुर है । यहां की जनसंख्या का 70 प्रतिषत जनजातिय वर्ग जैसे – गोढ़, माड़िया, मुरिया, भतरा, हल्बा एवं धुरवा समुदाय है । संपूर्ण राज्य की जनजातिय जनसंख्या का 26.76 प्रतिषत भाग बस्तर में निवास करता है । अतः इसकी गिनती आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में होती है एवं आर्थिक विकास की दृश्टि से आज भी इसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है ।

बस्तर जिला छत्तीसगढ़ प्रदेष के कोण्डागाँव, सुकमा, बीजापुर जिले से घिरा हुआ है, इसकी सीमाएं उत्तर में कोण्डागावँ, पूर्व में उडीसा के नवरंगपुर एवं कोरापुट, दक्षिण तथा दक्षिण पष्चिम में दंतेवाड़ा जिला एवं पष्चिम में महाराश्ट्र के गढ़चिरौली से लगी हुई है । यहां के लोग सहज एवं सरल स्वाभाव के धनी है ।

3- v/;;u dh vko’;drk %& प्रस्तुत षोधपत्र बस्तर क्षेत्र में तेंदू पत्ता संग्राहकों एवं संग्रहण व्यापार पर आधारित है । यह कार्य यहां कि जनजातिय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही हड्डी है, यही कारण है कि इसे ''हरा सोना'' की संज्ञा दी गई है । तेंदू पत्ता संग्रहण एवं व्यापार बस्तर के स्वर्णिम भविश्य हेतु आषान्वित करता है । चूंकि वर्श में 15 दिन के संग्रहण की अल्पावधि में यहां के वनवासी इसी कार्य में संलग्न होते हैं एवं इनसे प्राप्त आय वर्श भर उनकी जीवन–निर्वाह के स्त्रोत होते हैं । अतः यह आवष्यक है कि उन्हें संग्रहण के तरीकों, प्रसंस्करण, भंडारण, षासन द्वारा समर्थित मूल्य, विक्रय के तरीकों एवं विभिन्न योजनाएं जो छ॰ग॰ द्वारा ''लघु वनोपज संघ'' के माध्यम से चलाई जा रही है, उसकी पूर्ण जानकारी हो, एवं बस्तर क्षेत्र में यह आवष्यकता और भी प्रबल है क्योंकि आज भी जनसंख्या का एक बड़ा भाग निरक्षरता एवं नक्सलवाद जैसी त्रासदी से जूझ रहा है । अतः इस क्षेत्र की आर्थिक उन्नति हेतु तेंदू पत्ते के संग्रहण एवं व्यापार से संबंधित तथ्यों का विष्लेशण की षोधपत्र का आधार है ।

4- mÌs’; %& तेंदू पत्ता बस्तर के अकाश्ठीय लघु वनोपजों का एक प्रमुख उत्पाद है, जिसकी वृहत बाजार मांग एवं व्यावसायिक संभावनाओं के कारण ही इसे ''हरा सोना'' की संज्ञा दी गई है । इसका संग्रहण, भंडारण एवं क्रय विक्रय षासन द्वारा स्थापित ''छ॰ग॰ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित'' द्वारा किया जाता है । यह एक राश्ट्रीयकृत ''लघु वनोपज'' है अर्थात् खुले बाजार में इनका सीधा क्रय–विक्रय षासन द्वारा प्रतिबंधित है, चूंकि इस प्रतिबंध के कारण इसका संपूर्ण व्यापार ''लघु वनोपज संघ'' पर आश्रित है अतः इनके संबंध में लघु वनोपज संघ द्वारा प्रदाय विभिन्न योजनाओं, संग्रहण की वर्तमान स्थिति एवं इसके व्यापार को प्रभावित करने वाले अन्य घटकों का अध्ययन एवं विष्लेशण ताकि इस व्यापार के माध्यम से और अधिक आर्थिक विकास हो सके यही षोधकार्य का उद्देष्य है ।

5- ‘kks/k gsrq fufeZr ifjdYiuk,¡ %

1.संग्राहको को संग्रहण से संबंधित क्रियाओं जैसे, संग्रहण की सही अवधि, पत्तों की सही किस्म, संग्रहण के तरीकों, क्रय–विक्रय की प्रणाली इत्यादि की संपूर्ण जानकारी है ।
2. तेंदू पत्ता संग्रहण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं आर्थिक लाभों की पूर्ण जानकारी है एवं ये योजनाएं संग्रहण वृद्धि में लाभदायक है (ग्रामीणों को संग्रहण कार्य हेतु प्रोत्साहित करने हेतु)
3. बस्तर में संग्रहण काल के पष्चात् रोजगार एवं जीविकोपार्जन के ठोस विकल्प ग्रामीणों हेतु उपलब्ध है ।
4. षासन द्वारा क्रय विक्रय के संबंध में अपनाई जा रही प्रक्रिया सरल एवं पूर्ण पारदर्षी है ।

6- ‘kks/k ifof/k %& षोध मुख्यतः विष्लेशणात्मक प्रकार का है, जिसमें बस्तर के ''राश्ट्रीयकृत लघु वनोपज'' तेंदू पत्ते के संदर्भ में संग्रहण, भंडारण एवं इसके व्यापार व्यवसाय में ''छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित'' की भूमिका का अध्ययन किया गया है । षोध प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों समंकों पर आधारित है । प्राथमिक समंक बस्तर क्षेत्र के बास्तानार, बकावण्ड, तोकापाल, जगदलपुर एवं करंजी क्षेत्र के आदिवासी परिवारों (जो कि संग्रहण कार्य करते हैं) से लिए गए हैं, एवं द्वितीयक समंक ''छत्तीसगढ़ राजय लघु वनोपज संघ'' के जगदलपुर स्थित कार्यालय, समाचार–पत्रों एवं इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं ।

7- fo’ys"k.kkRed v/;;u %&

7-1 षासन द्वारा चलाई जा रही योनाओं से प्राप्त लाभ, संग्रहण संबंधी मानकों की जानकारी, आजीविका के अन्य साधनों एवं प्रषिक्षण इत्यादि की स्थिति जानने हेतु उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों के 50 ग्रामवासियों से अनुसूची के माध्यम से निम्न प्रष्न पूछे गए :

क्र॰	प्रष्न	हाँ	नहीं
1	क्या संग्रहण अवधि में संपूर्ण परिवार इसी कार्य में संलग्न रहता है ?	40	10
2	क्या सरकार द्वारा इस संबध में दी जाने वाली सहायता एवं विभिन्न योजनाओं की पूर्ण जानकारी है ?	22	28

Volume : 5 | Issue : 9 | September 2015 | ISSN - 2249-555X

3	पत्तों की तोड़ाई, गुणवत्ता मानकों, बंडल बनाने की प्रक्रिया एवं सही भंडारण तकनीकों से भली–भांति परिचित है ?	27	23
4	क्या समय–समय पर प्रषिक्षण प्राप्त है ?	25	25
5	क्या संग्रहण से प्राप्त राषि संपूर्ण वर्ष हेतु पर्याप्त है ?	18	32
6	इस कार्य के अलावा आजीविका हेतु अन्य कार्य भी संग्रहण अवधि पष्चात् किए जाते हैं ?	42	8
7	संग्रहण काल पष्चात् रोजगार के अन्य विकल्प पर्याप्त व आसानी से उपलब्ध है ?	12	38
8	क्या संग्रहण अवधि में छात्रवृत्ति, बोनस एवं चरणपादुका इत्यादि का लाभ प्राप्त हुआ है ?	35	15
9	षासन द्वारा प्रोत्साहन हेतु प्रदाय की जा रही विभिन्न सामग्री की गुणवत्ता से संतुश्ट हैं ?	28	22

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से यह स्पश्ट है कि भले ही संग्रहण की अवधि अति अल्प होती है परंतु इससे प्राप्त होने वाले अनेक आर्थिक एवं अनार्थिक लाभों के कारण लगभग सभी परिवारों में सारा कार्य छोड़कर संग्रहण अवधि में केवल यही कार्य किया जाता है, परन्तु संग्रहण अवधि समाप्त होते ही रोजगार का कोई अन्य ठोस विकल्प इनके पास उपलब्ध नहीं है । षासन द्वारा प्रदान की जा रही सामग्री सभी परिवारों को प्राप्त है एवं छात्रवृत्ति इत्यादि की सुविधा चयनित छात्र–छात्राओं को दी जाती है एवं सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में विचारों में मतभेद पाए गए है ।

7-2 rsnw iRrk 0;kikj dh orZeku fLFkfr&

विगत दो वर्शों से बस्तर एवं आसपास के क्षेत्रों में तेंदूपत्ता खरीदी की स्थिति निम्न प्रकार है:

तालिका

क्र.	वनमंडल	लाट		अग्रिम खरीदी		विभागीय खरीदी	
		2013	2014	2013	2014	2013	2014
1	बीजापुर	39	39	25	39	14	00
2	सुकमा	48	48	07	05	41	43
3	दंतेवाड़ा	13	13	07	03	06	10
4	बस्तर	15	15	04	01	11	14

उपरोक्त तालिका में प्रदर्षित आंकड़ों में वर्श 2013 में 115 में से 43 एवं 2014 में 115 में से 48 लाट की खरीदी हुई है, परन्तु अग्रिम खरीदी के क्षेत्र में बस्तर अंचल के तेंदू पत्तों की स्थिति सबसे कमजोर है । जिसका प्रमुख कारण प्रतिकूल मौसम के कारण पत्तों की गुणवत्ता में आई कमी को माना जा रहा है, जिसके चलते निकटवर्ती आंध्रप्रदेष एवं उड़ीसा के व्यापारी इनके क्रय में रूचि नहीं दिखा रहे हैं ।

7-3 तेंदू पत्ता संग्राहकों को संग्रहण हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देष्य से षासन द्वारा बोनस वितरण, सिंथेटिक साड़ी, चरणपादुका वितरण, छात्रवृत्ति इत्यादि लाभ प्रदान किए जाते हैं, ताकि संग्रहण कार्य यथासमय एवं सही विधि से पूर्ण हो सके । बस्तर अंचल में लगभग 32000 आदिवासी तेंदूपत्ता संगहण कार्य में संलग्न है, जिससे संबंधित आंकड़े निम्न तालिका में प्रदर्षित है ।

तालिका

वर्श	संग्राहक संख्या	कुल तेंदू पत्ता संग्रह (बोरे में)	तेंदू पत्ता संग्रहण पारिश्रमिक का भुगतान	बोनस वितरण राषि	चरणपादुका वितरण संख्या
2009	29702	21998-54	15912692	14215302	33202
2010	33625	22406-70	16805025	15794628	36408
2011	37584	23109-310	184879929	16548465	37584
2012	39625	25240-537	27764591	28814483	39625
2013	172234	27608-451	33130141	32563421	31698
dqy	172234	12014-138	97778955	108036299	178517

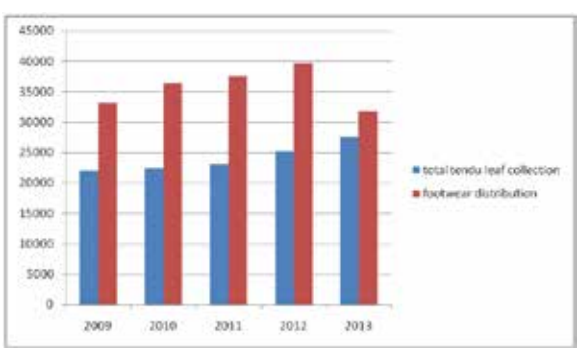

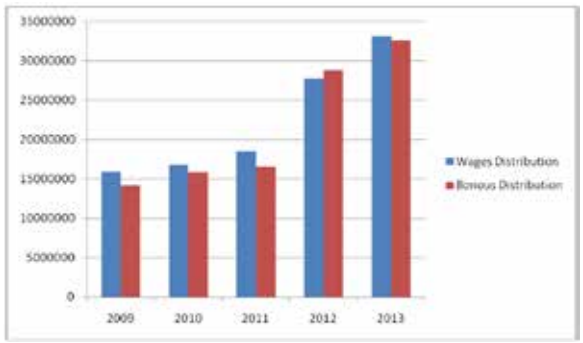

वर्श 2015 में भारतीय जनता पार्टी के षासन में 2005 में चरण पादुका योजना का षुभारंभ किया गया था, जिसमें प्रथम दो वर्शों में केवल पुरूश सदस्यों को ही चप्पलें वितरित की गई थी, इसके पष्चात 2008 में इस योजना को महिला संग्राहकों हेतु भी लागू किया गया जिसके तहत 2008–09 एवं 2009–10 में महिलाओं को भी इसका वितरण किया गया । राज्य षासन के तत्वाधान में ''लघु वनोपज संघ'' द्वारा इनका क्रय एवं वितरण किया जाता है ।

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से यह पता चलता है कि षासन द्वारा प्रोत्साहन हेतु एक बड़ी धनराषि बोनस के रूप में प्रदान की गई है तथा पारिश्रमिक के रूप में एक बड़ी राषि का भुगतान पिछले पांच वर्शों में किया गया है । चरणपादुका संग्रह कार्य में संलग्न परिवार के पुरूश सदस्य के नाप के हिसाब से दी जाती है ।

7-4 'kklu }kjk lapkfyr fofHkUu ;kstuk,¡

7.4.1 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया की ''जनश्री समूह बीमा योजना तथा अन्य सदस्यों की पुरानी समूह बीमा योजना व अटल समूह बीमा योजना:–

संग्राहक परिवार के 18 से 59 वर्श तक की आयु के मुखिया का 01.05.2007 से ''जनश्री'' बीमा योजना के तहत बीमा कराया गया है । पिछले दो वर्शों में जिस मुखिया ने कम से कम 500 गड्डी तेंदु पत्ता तोड़ा है उसे यह लाभ प्राप्त होगा । जिसमें किसी भी प्रकार की राषि मुखिया को नहीं देनी होगी । प्राप्त राषि का वितरण निम्न है:

साधारण मृत्यु की दषा में –	नामांकित को 20,000.00 हजार रूपये
स्थायी अपंगता की दषा में –	मुखिया को 25,000.00 हजार रूपये
स्थायी अपंगता/दुर्घटना जनित मृत्यु में –	मुखिया या नामांकित को 50,000.00 हजार रूपये

उपरोक्त राषि का भुगतान बैंक चैक के माध्यम से किया जाएगा ।

बीमा राषि के अतिरिक्त मुखिया के 9वीं से 12वीं कक्षा (आई.टी.आई.) सहित में पढ़ रहे दो बच्चों को 600/– प्रति छः माही षिश्यवृत्ति भी उपलब्ध होगी ।

7.4.2 मुखिया के अतिरिक्त परिवार के 18 से 59 वर्श तक के आयु के किसी अन्य सदस्य की मृत्यु पर/विकलांगता पर पुरानी तेंदूपत्ता संग्राहक समूह बीमा योजना लागू है जिसका विवरण निम्न है:–

1	साधारण मृत्यु की दषा में	7500@&
2	आंषिक विकलांगता की दषा में	12500@&
3	दुर्घटना जनित मृत्यु अथवा पूर्ण विकलांगता पर	25000@&

वर्श 2011–12 से इस योजना के साथ ही अटल तेंदूपत्ता समूह बीमा योजना के अंतर्गत मृत्यु पर रूपये 4000.00/– के अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान है ।
उपरोक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु संग्राहक परिवार के मुखिया का एवं समूह बीमा योजना हेतु मुखिया के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्यों के नामांकन पत्र समिति कार्यालय में उपलब्ध होना अनिवार्य है

f'k{kk ;kstuk,¡&

1- f'k{kk iksRlkgu ;kstuk& तेंदू पत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों हेतु षिक्षा प्रोत्साहन योजना वित्तीय वर्श 2011–12 से स्वीकृत की गई है । इस हेतु बच्चों का चयन प्रत्येक वर्श प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति स्तर पर किया जाएगा । इस योजना के तहत विद्यार्थी को व्यवासायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति के अतिरिक्त 25000.00/– रूपये की अतिरिक्त राषि भी प्रदान की जाएगी। जिसमें प्रथम वर्श 10000.00/– द्वितीय तथा पष्चात्वर्ती वर्शों में 5000.00/– प्रतिवर्श अधिकतम मूल चार वर्शों में उपलब्ध कराई जाएगी । भुगतान छात्र/छात्रा को A/c Payee cheque द्वारा किया जाएगी ।

Volume : 5 | Issue : 9 | September 2015 | ISSN - 2249-555X

किसी भी मान्यता प्राप्त षिक्षण संस्था से किसी भी व्यावसायिक कोर्स जैसे – इंजीनियरिंग मेडिकल, विधि, एम॰बी॰ए॰, नर्सिंग कोर्स एवं ऐसे कोर्स जिनके लिए प्रवेष की न्यूनतम षैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं हो तथा कोर्स की न्यूनतम अवधि 12 माह (1 वर्श) हो इसके अंतर्गत षामिल है ।

वर्श 2014 से राज्य सरकार द्वारा 12000.00/– की छात्रवृत्ति संग्राहक परिवार के बच्चों को गैर–व्यावसायिक एवं स्नातक स्तर की षिक्षा हेतु दिए जाने का प्रावधान है । हाल ही में षिक्षा प्रोत्साहन योजना का विस्तार करते हुए वर्श 2015–16 में बी॰एस॰सी॰ (नर्सिंग) पाठ्यकक्रम में प्रवेष लेने पर फेडरेषन द्वारा छात्रवृत्ति दी जाएगी । इसके अतिरिक्त मेध ाावी छात्र–छात्राओं को निम्न पुरस्कार दिए जाएंगे ।

8वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को	2000-00
10 वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को	2500-00
12 वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को	3000-00

यह योजना 2011–12 से प्रारंभ की गई तथा इस योजना पर प्रतिवर्श सहकारी समिति द्वारा प्रतिवर्श 15000.00 राषि व्यय की जाएगी ।

8 v/;;u dk ikIr fu"d"kZ&

उपरोक्त सभी आंकड़ों के अध्ययन के पष्चात् यह पता चलता है, सरकार द्वारा प्रतिवर्श पर्याप्त मात्रा में धनराषि प्रोत्साहन हेतु विभिन्न योजनाओं में खर्च की जा रही है किन्तु इसके अतिरिक्त कई अन्य कारक भी है जिनके इनका व्यापार प्रभावित होता है वर्तमान वर्श 2015 में अभी बस्तर वनमंडल में तेंदूपत्ता संग्रहण का समय हाल ही में समाप्त हुआ है, परंतु इस वर्श मौसम की मार ने तेंदूपत्ता संग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, वन अधिकारियों के अनुसार इस वर्श निर्धारित 25500 मानक बोरा तेंदूपत्ता खरीदी के लक्ष्य में से केवल 12700 मानक बैग की ही खरीदी हो पाई है । एवं लक्ष्य का मात्र 60% संग्रहण कार्य ही पूरा हो पाने का अनुमान है ।

बस्तर के तेंदूपत्ता गुणवत्ता की दृश्टि से अत्यंत उपयुक्त माना गया है परंतु वर्तमान में राश्ट्रीय एवं अंतर्राश्ट्रीय बाजार में तेंदूपत्ता की मांग अत्यंत कम है, वर्तमान में 1200 रूपये प्रति बोरा स्वीकृत मूल्य से खरीदे गए तेंदू पत्ते की बिक्री 600 रूपये में भी नहीं हो पा रही है, इस भयावह स्थिति का यह परिणाम है कि बस्तर के तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस न मिल पाने का खतरा भी मंडरा रहा है । पिछले दो वर्शों से हजारों बोरे तेंदूपत्ता जाम पड़ा है, जिससे नई खरीदी एवं पुराने माल की सुरक्षा दोनों ही बोझ बन गए हैं ।

इस खराब स्थिति का कारण संग्रहित तेंदूपत्तों की खराब क्वालिटी को माना जा रहा है, इसमें सुधार हेतु संग्रहण से संबंधित प्रक्रिया जैसे बूटा कटाई इत्यादि पर विषेश ध्यान देने के साथ ही प्रषिक्षण की भी व्यवस्था की जा रही है परंतु कुछ अनियंत्रणीय प्राकृतिक घटक भी बस्तर के इस ''हरे सोने'' की चमक फीकी कर रहे हैं, साथ ही राश्ट्रीय स्तर पर सिगरेट की बढ़ती मांग एवं बीड़ी का अपेक्षाकृत कम प्रयोग अप्रचलन भी बीड़ी उद्योग को हतोत्साहित कर रहा है, जिससे बीड़ी उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त तेंदू पत्ते की मांग स्वतः ही कम हो गई है ।

चूंकि तेंदूपत्ता यहां की पिछड़ी जनजातिय अर्थव्यवस्था के लिए जीविकोपार्जन को प्रमुख साधनों में से एक है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसकी क्रय–विक्रय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया है किन्तु ग्रामीणों की अनभिज्ञता एवं प्रषिक्षण इत्यादि के प्रति उनकी उदासीनता योजनाओं की सफलता में बाधक प्रतीत होती है ।

इन तमाम आर्थिक एवं अनार्थिक कारणों के अतिरिक्त एक अन्य ज्वलंत समस्या बस्तर क्षेत्र में फैला नक्सलवाद भी है, जिसने यहां के व्यापार एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है । नक्सलवाद के चलते बाहर के व्यापारियों द्वारा भय के कारण बस्तर क्षेत्र में व्यापार विस्तार की कमी न केवल वनोपजों के बल्कि हर प्रकार के व्यापार को प्रभावित करती है ।

वर्तमान में बस्तर वनमंडल में कुल 15 वनोपज समितियां है, इनमें से इस वर्श 4 समिति में ठेके में खरीदी की जा रही है जबकि षेश 11 में विभागीय खरीदी हो रही है । मौसम की बेरूखी के चलते इस वर्श तेंदूपत्ते समय के पूर्व ही परिपक्व हो गए जिसके चलते संग्रहण कार्य पर प्रतिकूल असर पड़ा । 15 दिन के इस व्यापार में सबकुछ अनुकूल होने पर संग्राहकों को अच्छे आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है जहां एक ओर पत्ते का मूल्य तुरंत मिल जाता है वहीं दूसरी ओर पत्ता बिकने के बाद लाभांष के रूप में मोटी राषि भी संग्राहकों को प्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त बीमा, षिक्षा प्रोत्साहन योजना, चरण पादुका वितरण सिंथेटिक साड़ी वितरण आदि अनेक अन्य लाभ भी है, यही कारण है कि यहां के आदिवासी 15 दिनों तक सारे काम छोड़कर तेंदू पत्ता तोड़ाई में लग जाते हैं । तेंदूपत्ता व्यापार के इसी चौतरफा लाभ के कारण ही इसे ''Green Gold'' कहा जाता है ।

बस्तर के आदिवासियों की आय का मुख्य स्त्रोत यहां उत्पादित होने वाले लघु वनोपज हैं, ऐसी अवस्था में इसकी वर्तमान दयनीय स्थिति से रोजी–रोटी एवं जीवन निर्वाह की कठिनाईयां उत्पन्न हो गई है, जो वर्तमान में बस्तर में श्रम पलायन की समस्या को भी जन्म दे रही है ।

9- leL;k dk lek/kku gsrq lq>ko mik;%&

अध्ययन के पष्चात् निकाले गए निश्कर्शों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यापार की भांति इस व्यवसाय में भी कुछ अनियंत्रणीय बाह्य कारक है जैसे खराब मौसम, समय के पूर्व बारिष परंतु अन्य बातें जिनके संबंध में समाधान संभावित भी है । जैसे – प्रषिक्षण इत्यादि के प्रति ग्रामीणों की उदासीनता उनकी निरक्षरता एवं ज्ञान के प्रति अरूचि का परिणाम है, यद्यपि इस संबंध में छात्रवृत्ति इत्यादि के माध्यम से सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, परंतु ये वे योजनाएं है जिनका परिणाम एवं लाभ भावी पीढ़ी को प्राप्त होगा, परंतु वर्तमान में जो सदस्य संग्रहण कार्य में लगे हैं, उनके लिए प्रौढ़ षिक्षा इत्यादि की व्यवस्था निष्चित ही साक्षरता दर में वृद्धि करेंगी । बेमौसम बारिष इत्यादि वर्तमान में तो अनियंत्रीणीय घटक है, किंन्तु यदि गहनतापूर्वक सोचा जाए तो ये मानव द्वारा प्रकृति के साथ किया गया आवष्यकता से अधिक खिलवाड़, वनों की अवैध एवं अंधाधुध कटाई का ही परिणाम है, जो कि अब इन प्राकृतिक वस्तुओं के व्यापार को प्रभावित कर रहा हे, चूंकि बस्तर के आदिवासी आज भी निरक्षर एवं अषिक्षा की समस्या से ग्रसित है, अतः पर्यावरण के प्रति जागरूकता का भी अभाव उनमें है इन सभी बातों का उपचार यदि यथासमय नहीं किया गया तो दीर्घकाल में मौसमी कारक अत्यंत भयावह रूप से इस वनोपज पर आश्रित व्यापार के विनाष का कारण बनेंगे ।

साथ ही बस्तर परिक्षेत्र में वनोपज व्यापार के विस्तार में प्रमुख बाधा यहां फैला नक्सलवाद हे, जिसके कारण आंध्रपदेष एवं उड़ीसा जैसे क्षेत्रों के निकटवर्ती होते हुए भी बाहर के व्यापारी इस क्षेत्र के प्रति अपेक्षाकृत उदासीन है जिस हेतु नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़कर नक्सलवाद का खात्मा व्यापारा विकास में सहायक होगा ।

REFERENCE

1. बस्तर के वनः वनवासियों के कुबेर (बस्तर वन मंडल, जगलपुर द्वारा प्रकाषित) द्य 2. तेंदूपत्ता संग्रहण निर्देषिका – वर्श 2013 द्य 3. Chhattisgarh modified footwear schem for women: | R Krisha Das, Business stadard 2010 | 4. The Times of India : 13 June 2011 | 5. The Pioneer - 14 August 2014] Thursday | 6. रोजगार एवं नियोजन – 15 अप्रैल 2015 द्य 7. नवभारत, षुक्रवार – 6 मार्च 2015 द्य 8. नवभारत, – मंगलवार – 19 मई 2015 द्य 9. Business Standard - 1 December 2010 | 10. www.infochangingindia.org